न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 13/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
भंवरलाल पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार निवासी गोगेलाव तहसील व जिला नागौर।		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री नरेन्द्र सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 12.03.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 62/2016 सरकार बनाम भंवरलाल में निर्णय दिनांक 22.08.16 के तहत मौजा सींगड के खसरा नं. 651 व 645 रकबा 2.19 बीघा गै.मु. बारानी–2 तथा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.01.17 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.01.17 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया था। नोटिस पर रेस्पोडेन्ट ने सवार से मिलकर अपने प्रभाव को नाम में लेते हुए नोटिस पर फर्जी व झूठी रिपोर्ट करवायी। नोटिस की तामील विधिपूर्ण भी नही है तथा साथ के साथ फर्जी है। अपीलांट के पीठ पीछे निर्णय किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नही हो सकी। दीवानी वाद में सर्वप्रथम 16.11.16 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय के बारे मे जानकारी देने पर अपीलांट के अधिवक्ता को इस निर्णय की जानकारी हुई। जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट को समाचार कर बुलाया तथा निर्णय की जानकारी दी। जिस पर अपीलांट ने निर्णय की नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा 10.01.17 को नकल मिलने पर अपील प्रस्तुत की गई। समय भीतर अपील प्रस्तुत नही करने का समुचित पर्याप्त कारण है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट का खसरा नं. 651 तथा 645 वाके मौजा सींगड की भूमि पर कभी भी अपीलांट का अतिक्रमण व कब्जा नही रहा, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है।

{2}(III)–अपीलांट के खातेदारी की भूमि मे से कभी भी किसी प्रकार का रास्ता मौके पर नही रहा, जो रास्ता खसरा नं. 645 तहसीलदार ने अपीलांट के खातेदारी की भूमि में होना बताया है। वैसा कोई रास्ता अपीलांट की खातेदारी की भूमि में नही रहा है।

{2}(IV)–अपीलांट के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 1278/622 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा मौजा सींगड में आयी हुई है। खसरा नं. 1278/622 मूल खसरा नं. 622 से बना हुआ है। मूल खसरा नं. 622 का रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा है। मूल खसरा नं. 622 रकबा 94 बीघा 12 बिस्वा वादी भंवरलाल, सुल्तान खां, भूरे खां तथा रताराम के सह खातेदारी की भूमि थी। इस संपूर्ण 94 बीघा 13 बिस्वा भूमि में से 31 बीघा 10 बिस्वा वादी के बंट, हिस्से की, 31 बीघा 12 बिस्वा रताराम के बंट हिस्से की, 15 बीघा 10 बिस्वा सुल्तान खां के बंट हिस्से की तथा 16 बीघा भूरे खां के बंट हिस्से की भूमि थी।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(V)–मूल खसरा नं. 622 की चारों दिशाओं की माठे आज जहां कायम है, वह सैकडों वर्षो से इसी स्थान पर रहती रही है। मूल खसरा नं. 622 के पूर्व तथा पश्चिम दोनो दिशाओं की माठो के बाहर किनारे पर कटाण रास्ता चलता है। पूर्व दिशा की तरफ जो कटाण रास्ता चलता है। उसके खसरा नं. 645 है तथा पश्चिम की तरफ चलने वाले कटाण रास्ते के नंबर 619 है। ये दोनो रास्ते हमेशा खसरा नं. 622 के बाहर ही चलते रहे है और आज जहां मौके पर चल रहे है। पीढियों से इसी स्थान पर चलते रहे है। राजस्व नक्शे में भी इसी अनुसार इन रास्तों को दर्शाया गया है। खसरा नं. 622 के अंदर से कभी भी रास्ता नही रहा है और न आज दिन रास्ता है।

{2}(VI)–मूल खसरा नं. 622 के चारों खातेदारों ने आपसी सहमति से 94 बीघा 12 बिस्वा भूमि का आपस में बंट कर लिया। विभाजन के अनुसार वादी के बंट में दक्षिणी पूर्वी तरफ की 31 बीघा 10 बिस्वा, रताराम के बंट में दक्षिणी पश्चिमी तरफ की 31 बीघा 12 बिस्वा, सुल्तान खां के बंट में उत्तरी पश्चिमी 15 बीघा 10 बिस्वा तथा भूरे खां के बंट में उत्तरी पूर्वी 16 बीघा बंट में रखी गई। सुल्तान के बंट में जो भूमि गई उसके नये खसरा नं. 1276/622 दर्ज हुए तथा सुल्तान खां के नाम इसका म्यूटेशन भरा जाकर सुल्तान खां के नाम अलग खातेदारी में दर्ज हो गई। भूरे खां के बंट में आयी भूमि के नये खसरा नं. 1277/622 दर्ज होकर भूरे खां के नाम म्यूटेशन के नाम म्यूटेशन भरा जाकर भूरे खां के खातेदारी में दर्ज हो गई। इसी प्रकार अपीलांट भंवरलाल के बंट में आई भूमि के नये खसरा नं. 1278/622 दर्ज होकर अपीलांट के नाम म्यूटेशन भरा जाकर अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई तथा रताराम के बंट में आयी भूमि के खसरा नं. 622 ही रहे जो उसके अलग खातेदारी में दर्ज हो गई।

{2}(VII)–राज्य सरकार ने अपीलांट की भूमि के पूर्व दिशा में चल रहे कटाणी रास्ते पर ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य करने हेतु राशि स्वीकृत की है तथा इस ग्रेवल सडक का निर्माण कार्य अभी शुरू किया गया है। रेस्पोडेन्ट के ठेकेदार ने सडक का निर्माण पूर्व दिशा में चल रहे कटाण रास्ते पर नही कराकर अपीलांट की खातेदारी कब्जे की भूमि खसरा नं. 1278/6522 में करने की इच्छा जाहिर की तथा अपीलांट के खेत में सडक बनाने की गरज से मिटटी डालनी शुरू कर दी। अपीलांट के द्वारा भारी विरोध करने पर एक बार तो मिटटी डालने का कार्य रोक दिया गया। रेस्पोडेन्टस व उसके ठेकेदार को या किसी मजदूर को अपीलांट के खातेदारी कब्जे की भूमि में सडक बनाने का कोई अधिकार नही है।

{2}(VIII)–राज्य सरकार के प्रतिनिधियों जिलाधीश महोदय तथा तहसीलदार नागौर के द्वारा अपीलांट के खातेदारी की भूमि से बाहर चल रहे कटाण रास्ता खसरा नं. 645 पर सडक का निर्माण कार्य नही करवाकर जबरन अपीलांट के खातेदारी की भूमि में से सडक निर्माण कार्य शुरू करने हेतु मिटटी बिछानी शुरू की गई, तब अपीलांट ने सिविल न्यायालय नागौर की अदालत में राज्य सरकार जरिये जिलाधीश महोदय नागौर तथा तहसीलदार नागौर के विरूद्व वाद तथा अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन प्रस्तुत किया। सिविल न्यायालय ने मौका की रिपोर्ट मांगने हेतु मौका कमीश्नर नियुक्त किया तथा मौका कमीश्नर से फोटोग्राफ सहित मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मौका कमीश्नर ने मौका देखा तब खसरा नं. 645 रास्ता अपीलांट के खातेदारी की भूमि से बाहर पूर्व दिशा में चल रहा था तथा यह रास्ता मौके पर खुला था तथा चल रहा था। अपीलांट के खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार का रास्ता नही पाया गया था। कमीश्नर ने यह रिपोर्ट फोटो सहित माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत की थी।

{2}(IX)–मौका रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद सिविल न्यायालय ने दोनो पक्षों यानि अपीलांट के अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता को सुनने के बाद अपीलांट के खातेदारी की भूमि में से सडक नही बनाये जाने का स्टे पारित किया, जो स्टे आज दिन तक कायम है। इस स्टे आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर को थी।

{2}(X)–तहसीलदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने पर तहसीलदार नाराज हो गये तथा उन्होने पटवारी हल्का से अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने की झूठी रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलांट के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया तथा अपीलांट को नोटिस दिये बगैर नोटिस पर सवार से तहसील में ही फर्जी रिपोर्ट कराकर अपीलांट के विरूद्व अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(XI)–अपीलांट को साक्ष्य सबूत सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(XII)–जब रास्ते का विवाद सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन था तथा उस वाद में अपीलांट के पक्ष में तथा रेस्पोडेन्ट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो रखी थी तथा दोनो पक्षों को सुनकर यह आदेश दिया गया था तथा इस आदेश की जानकारी रेस्पोडेन्ट को थी, तब अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अन्तर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही शुरू नही की जा सकती थी।

{2}(XIII)–रास्ते का इतना गहन व जटिल प्रश्न किसी भी सूरत में धारा 91 की कार्यवाही जो एक संक्षिप्त प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी सूरत में तय नही किया जा सकता था।

{2}(XIV)–रास्ते का जब यह प्रश्न सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था, तब ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की जिम्मेदारी थी कि अपीलांट के खातेदारी की भूमि का नाप करवाया जाना था, क्योंकि वास्तव में अपीलांट का अपने खातेदारी से बाहर किसी प्रकार का कब्जा न तो कभी रहा और न आज दिन है। खसरा नं. 245 या अन्य सरकारी जमीन पर अपीलांट का कभी भी अतिक्रमण नही रहा है। यदि इस पर किसी ने अतिक्रमण किया है तो वह किसी अन्य पडोसी खातेदार के द्वारा किया गया है। लेकिन पटवारी और तहसीलदार जानबूझकर अपीलांट के विरूद्व गलत व झूठी तथा मिथ्या रिपोर्ट तैयार कर गलत कार्यवाही की है। अपीलांट के साथ भारी अन्याय हुआ है तथा रेस्पोडेन्ट तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारी अन्य पडोसियों तथा अपीलांट से दुश्मनी रखने वाले व्यक्ति से मिलावट कर अपीलांट के खातेदारी कब्जे की भूमि में से नया रास्ता कायम करना चाहते है तथा सडक बनाना चाहते है।

{2}(XV)–अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष न तो पटवारी के बयान और न ही किसी अन्य व्यक्ति के बयान हुए है और न ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई नाप चोप रिपोर्ट पेश हुई है। जिस जगह पर पटवारी और रेस्पोडेन्ट रास्ता बता रहे है। वह वास्तव में अपीलांट के खातेदारी की जमीन है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

वकील अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआडी 2002 पेज 583 से 588, आरआडी 2006 पेज 278 से 280 तथा आरएलडब्लू 1995 (1) (एससी) पेज 117 से 120 नजीरे प्रस्तुत की गई।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा ग्राम सींगड में स्थित गै.मु.बा.2 व गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सींगड के खसरा नंबर 651 व 645 रकबा 2.19 बीघा गै.मु. बा.2 व गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आराजी भूमि वास्तविक रूप से अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1278/622 का ही भाग हो। ऐसा कही भी दस्तावेजी आधारा पर साबित नही है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर नागौर